



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI -834004
Phone.:2400852, 2400851, Fax:0651- 2400850, Web site : www.jspcb.org

अधिसूचना संख्या:- B-22

राँची, दिनांक:- 19/8/13

अधिसूचना

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के अधिसूचना संख्या-8, दिनांक 03.03.2012 ज्ञापांक-750, दिन क 03.03.2012 के द्वारा स्टोन माईन्स जिसका खनन पट्टा 5 हेक्टेयर से कम है, का द्वितीय एवं आगामी वर्षों का 'Consent to Operate' निर्गत करने की शक्ति क्षेत्रीय पदाधिकारियों को पूर्व से प्रत्यायोजित है।

पर्वद मंडल की 26वीं बैठक दिनांक 06.04.2013 के कार्यावली संख्या-11 में लिये गये निर्णय के आलोक में माईनर मिनरल यथा स्टोन माईन्स जिसका खनन पट्टा 5 हेक्टेयर से कम हो को दो वर्षों के लिये सहमति आदेश (CTO) निर्गत करने की शक्ति क्षेत्रीय पदाधिकारी को निम्न शर्तों के साथ प्रत्यायोजित किया जाता है :-

1. ऐसी इकाईयों का NOC पर्वद मुख्यालय द्वारा निर्गत हो चुका हो।
2. ऐसी इकाईयों द्वारा NOC अथवा पूर्व CTO आदेश के शर्तों का सही रूप में अनुपालन किया गया हो।
3. ऐसी इकाईयों पर कोई प्रदूषण प्रावधानों के उल्लंघन का कोई गंभीर आरोप नहीं हो।
4. इकाई के स्वीकृत पूर्व की लीज की अवधि आगामी दो वर्षों में समाप्त नहीं हो रही हो।
5. इकाई द्वारा दो वर्षों का सहमति शुल्क जमा किया गया हो।

क्षेत्रीय पदाधिकारी उपर्युक्त की जाँच कर स्टोन माईन्स (<5 Hactare) को दो वर्षों के लिये सहमति आदेश निर्गत करेंगे।

ह0/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

ज्ञापांक :

राँची, दिनांक :

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड/सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार राँची/निदेशक खान, झारखण्ड, राँची/सभी जिला खान पदाधिकारी/अध्यक्ष, झारखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

ज्ञापांक : B-4744

राँची, दिनांक : 19/8/13

प्रतिलिपि- 1. सभी शाखा प्रधान (मु0)/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

113